

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 09/2020

हरबंश सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान हाल आबाद अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

वादी

बनाम

1. अंग्रेज कौर पत्नि गुरजंट सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
92ए, 188 आरटीए


उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता | वादी |
| 2. श्री मोहित चुघ अधिवक्ता | प्रतिवादी संख्या 1 |
| 3. राजपैरोकार | प्रतिवादी संख्या 2 |

निर्णय

दिनांक 14.02.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक न0 7 एस डी एस ए तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 86/80 की मु0न0 16 किला न0 21/1 की 0.127 हैक्टर मु0न0 18 किला न0 4/1, 5/2, 6, 8/2, 16, 17, 24, 25 की 1.479 हैक्टर मु0न0 19 किला न0 1 ता 3, 9, 10 की 1.265 हैक्टर कुल 2.871 हैक्टर रकबा में 1.859 हैक्टर रकबा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जो सहदायिक है का विभाजन घरेलू तौर पर कर लिया था। हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति में प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सहूलियत को देखते हुए अपनी तमाम कृषि भूमि का घरेलू तौर पर विभाजन कर लिया है। विभाजन के तहत वादी को चक न0 7 एस डी एस ए तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 86/80 की 2.871 हैक्टर रकबा में 1.859 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पति के नाम से अन्य चको में कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन के तहत अपनी-अपनी कृषि भूमि काश्त कर रखी है। वादी की कब्जा काश्त में उपरोक्त कृषि भूमि है। वादी को घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त भूमि पर वादी की शान्तिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 में यह तय हुआ था कि जब भी वादी चाहेगा प्रतिवादी संख्या 1 उसके नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवेगा। वादी ने घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त कृषि भूमि को अपने श्रम साधनो से उपजाऊ बनाया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को आज से एक सप्ताह पूर्व कहा कि मेरे हक व हिस्से की कृषि भूमि जिस पर मुझ वादी की कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही विनाय मुखारमत दावा है। वादी के हक व हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को बैय व रहन एवं हस्तान्तरण कर सकती है। जिससे मुझ वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान पहुंचेगा। जिसकी क्षति-पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से संभव नहीं है। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें व वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बैय व रहन एव हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे।



राजपैरोकार
अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मोहित चुघ ने वकालतनामा पेश किया व इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं होगा। वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र को इकबाल दावा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में मां, बेटे है। वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। हिन्दू सहदायिक परिवार की सम्पति में प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरेलू तौर पर अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है। उक्त तथ्यो को प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा पेश कर वादपत्र की ताईद की है। वादी के कथनो पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा वादी की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल दावा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी मुताबिक इकबाल दावा से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी चक न0 7 एस डी एस ए तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 86/80 की 2.871 हैक्टर रकबा में 1.859 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन होने के स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Example
14.2.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

संख्याक-01
मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:- 09/2020

हरबंश सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान हाल आबाद
अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

वादी

बनाम

1. अंग्रेज कौर पत्नि गुरजंट सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
92ए, 188 आरटीए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मोहित चुघ वकील प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 2 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी चक न0 7 एस डी एस ए तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 86/80 की 2.871 हैक्टर रकबा में 1.859 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन की स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 14.2.2020 को जारी की गई।



हवाई सिंह यादव
14.2.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

